आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– (आंगनबाड़ी)विविध वाद सं0–11/2015 सरिता कुमारी बनाम राज्य(जि0प्रो0पदा0,खगड़िया)

19/15–16

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 9.9.2017 | *आदेश*<br>उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विविध वाद अपील संख्या 11/2015 सरिता कुमारी बनाम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया में दिनांक 14.08.15 को पारित आदेश के साथ अभिलेख उनके पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के चयन/चयनमुक्ति के मामलों में निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित किया गया है।<br>उपरोक्त के आलोक में आंगनवाड़ी अपील वाद पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते नोटिश जारी किया गया।<br>अपीलवाद में कहा गया है कि सेविका द्वारा केन्द्र का संचालन नियमित रूप से करती रही है। केन्द्र के पोषक क्षेत्र के लाभर्थी का किसी प्रकार का शिकायत नहीं है। पोषक क्षेत्र के लाभर्थी द्वारा पोषाहार वितरण में धांधली या कम पोषाहार देने की सूचना नहीं दिया गया है। केन्द्र जॉच के क्रम में पोषक क्षेत्र के लाभार्थियों का साक्ष्य लेना आवश्यक था, जो नहीं लिया गया। जॉच के क्रम में सेविका से विभिन्न पंजी की मांग की गयी तो सेविका द्वारा बताया गया कि सभी पंजी गोदरेज में बन्द है और उसकी चाभी पति के पास है। सुरक्षा कारणों से सभी पंजी गोदरेज में रखा गया था। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी उसे कार्यालय में भी उपलब्ध करवाने का आदेश दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जॉच पदाधिकारी को जब पंजी उपलब्ध नहीं हो सका तो पंजी से संबंधित त्रुटियां कैसे पता चला। यह एक जॉच का विषय है। पंजी जब्त होने की स्थिति में पंजी का जब्ती सूची बनाना चाहिए था तथा उसकी एक प्रति सेविका को मिलना चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो नियमानुसार नहीं है। उनका यह भी कहना है कि विभाग के आदेशानुसार केन्द्र का स्थानान्तरण करना था जो सेविका द्वारा जॉच के पूर्व में ही केन्द्र स्थानान्तरित कर विजय कुमार सिंह पे0 बलदेव सिंह, चकहुसैनी, मानसी, जिला–खगड़िया के दरवाजे पर कर दिया गया, जिसकी लिखित सूचना विभाग को दे दी गई थी। सेविका के केन्द्र पर अचानक जॉच के क्रम में जाना न्यायोचित नहीं था। सेविका अपना घरेलू परिधान (नाईटी) पहन रखी थी। अचानक पहुँचने पर तुरन्त वो घर से बाहर निकल कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के सामने उपस्थित हुई। केन्द्र बन्द रहने का आरोप भी निराधार है। जबकि केन्द्र के संचालन का समय समाप्त हो चका था। अपीलार्थी पर लगाया गया आरोप निराधार है। उनके द्वारा अपील को स्वीकृत कर, निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा | |

दिनांक 19.12.2014 को पारित आदेश को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख में संलग्न कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 16.09.2013 दोपहर 2.25 बजे केन्द्र संख्या–73 की जॉच जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा किया गया। जॉच के क्रम में टी0एच0आर0 पंजी का निरीक्षण करने पर पाया गया कि बिना किसी के द्वारा अभिप्रमाणित किये हुए पंजी पाया गया। माह जुलाई 2012 में गर्भवती महिलायें के क्रमांक–5 तक प्राप्तकर्त्ता का अंगूठे/हस्ताक्षर पाया गया। शेष तीन लाभर्थियों के सिर्फ मात्रा भरा पाया गया। सामान्य (कुपोषित) के क्रमांक में सिर्फ 02 बच्चे का ही नाम भरा हुआ पाया गया। शेष 09 बच्चे तक सिर्फ अंगुठे का निशान पाया गया। नाम के स्थान पर खाली पाया गया और क्रमांक 10 से 12 तक में सिर्फ मात्रा भरा हुआ था। माह नवम्बर 2012 के दिनांक 22.11.12 के टी0एच0आर0 वितरण में सामान्य लाभार्थी के क्रमांक 26 एवं 27 खाली पाया गया। दिनांक 19.01.2013 के टी0एच0आर0 वितरण दिवस के क्रमांक 22 से 2 खाली पाया गया । माह मार्च 2013 क 15. 03.13 के टी0एच0आर0 वितरण दिवस में कुपोषित बच्चे वाले पन्ने में सिर्फ 18 लाभार्थी को ही वितरण किया गया। अति कुपोषित में सिर्फ 06 को वितरण किया गया। अप्रैल 2013 में सिर्फ 09 कुपोषित लाभार्थी को वितरण किया गया और अतिकुपोषित 03 को वितरण किया गया। माह जून 2013 में सर्फ कुपोषित को वितरण किया गया एवं पंजी कं अंतिम पन्ने में अंगूठे का निशान बना हुआ पाया गया। लाभार्थी वाले नाम के जगह पर खाली और मात्रा के जगह खाली पाया गया। पूर्व में भी जॉच पदाधिकारी द्वारा उक्त केन्द्र का जॉच माह जुलाई 2013 में किया गया था। सेविका द्वारा केन्द्र का संचालन निजी घर पर किया जा रहा था। सेविका को उसी दिन निदेश दिया गया था कि एक सप्ताह के अन्दर अपने निजी घर में स्थानान्तरित करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जायेगी। किन्तु सेविका द्वारा केन्द्र का स्थानान्तरण नहीं किया गया। जॉच पदाधिकारी उक्त केन्द्र की सेविका को घोर अनियमितता के कारण चयनमुक्ति की अनुशंसा की गयी। सेविका द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। सेविका द्वारा टी0एच0आर0 वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के दिशा निदेश पत्रांक 2120 दिनांक 20.06.12 के कंडिका C उप कंडिका IV के आलोक में चार माह का टी0एच0आर0 वसूली का आदेश पारित किया गया और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मानसी को निदेश दिया गया कि उस केन्द्र पर विशेष ध्यान रखें। सेविका द्वारा अनियमितता बरती जाती है तो पुनः चयनमुक्ति की अनुशंसा करें।

अपीलार्थी कई तिथियों से अनुपस्थित चली आ रही है। दैनिक समचार पत्र '' प्रभात खाबर'' में 15 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित कराया गया। लेकिन फिर भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुई। अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में

कुछ नहीं कहना है तथा कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं करना है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जॉच में पायी गयी अनियमितता के आलोक में अपीलार्थी के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सही एवं सम्यक है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जॉच में पायी गयी अनियमितता के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अपने कथन के समर्थन में कोई भी कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उनका यह कहना कि जॉच के क्रम में सेविका से विभिन्न पंजी की मांग की गयी तो सेविका द्वारा बताया गया कि सभी पंजी गोदरेज में बन्द है और उसकी चाभी पति के पास है। जॉच पदाकिारी को जब पंजी उपलब्ध नहीं हो सका तो पंजी से संबंधित त्रुटियां कैसे पता चला। अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.07.2013 के जॉच के सम्बन्ध में कहा गया है। जबकि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 16.09.2013 को की गयी जॉच में टी0एच0आर0 वितरण में पायी गयी अनियमितता के आलोक में यह कार्रवाई की गयी है और टी0एच0आर0 वितरण के जॉच से स्पष्ट होता है कि यह संभव है कि उक्त तिथि को टी0एच0आर0 वितरण की तिथि निर्धारित हो। अपीलार्थी द्वारा केन्द्र बन्द रहने का आरोप निराधार बताने तथा केन्द्र के संचालन का समय समाप्त हो जाने की बात अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.07.2013 के संबंध में कहा गया है। जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध कार्रवाई दिनांक 16.09.2013 की जॉच में पायी गयी अनियमितता पर हुई है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 19.12.14 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

समाहर्त्ता
खगड़िया

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख<br>1. | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>02. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित<br>3. |
|---|---|---|
| | डी0 बी0 नं0 450 / विधि, दिनांक 27/11/2012<br>प्रतिलिपिः–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।<br>प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।<br>27/11<br>प्रभारी पदाधिकारी<br>जिला विधि शाखा,<br>खगड़िया।<br>27/11/12 | |